भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 771
24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में किफायती आवास

†771. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा धुबरी हथकरघा उत्पादन केन्द्र (एचपीसी) में विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सस्ते आवासों की कमी को दूर करने के लिए किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार असम के धुबरी और अन्य शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और अन्य किफायती आवास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है; और

(ग) क्या धुबरी में बाढ़ प्रभावित समुदायों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम हैं जहां कई लोग अस्थायी आश्रयों अथवा अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाएँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश

भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में माँग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता निर्धारित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उन लाभार्थियों को शामिल कर सकती हैं जिनके आवास बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त/प्रभावित हुए हैं, बशर्ते वे योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करे, मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों सहित पात्र नागरिकों को भी पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने और अपनी मांग दर्ज करने की अनुमति है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र /शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर लाभार्थी सूची का चयन/जांच की जाती है। योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार हेतु केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेजा जाता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए योजना दिशानिर्देश और एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा असम राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 1,84,991 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,69,101 आवास निर्माणाधीन हैं और 14.07.2025 तक 1,30,425 आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे चुके हैं। इसके अलावा, असम के धुबरी जिले में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 7,877 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6,403 आवास पूर्ण हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
